प-चा-डिग्री

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज.
पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वजीत मीना R.A.S.

मु.नं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
116/16	22.06.2016	26.03.2018

उनवान

[1] मामचंद
[2] कन्हैयालाल पुत्रान भोमजी
[3] काबूराम
[4] शीशराम पुत्रान भगवाना
[5] फूलवती
[6] सरिता पुत्रियान भगवाना
[7] विजयदेवी पत्नि विश्वम्भरदयाल
[8] देवकरण सिंह
[9] विनोदकुमार पुत्रान विश्वम्भरदयाल
[10] सतवीर
[11] धर्मपाल पुत्रान प्रभातसिंह जाति अहीर निवासी चौकी हाल आबाद कोटकासिम (अलवर) राज.

—वादीगण

बनाम

[1] गोपीनाथ पुत्र नागरमल स्वामी निवासी कोटकासिम (अलवर)
[2] राज. सरकार जरिये तहसीलदार (भू-अभिलेख) कोटकासिम

—प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन बाबत [illegible] अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्त. अधि. 1955

वादीगण का वाद इस कदर डिग्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख.नं. 2049 रकबा 0-19 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाकर वादीगण के नाम का इन्द्राज रिकार्ड में अमल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.3.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०
पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीणा R.A.S

मु.नं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
116/16	22.06.2016	26/03/2018

उनवान

[1] मानसिंह
[2] कन्हैयालाल पुत्रान भोलाजी
[3] कालूराम
[4] श्रीराम पुत्रान भगवाना
[5] फूलवती
[6] सावित्रा पुत्रीयान भगवाना
[7] विजय देवी पत्नि विश्वम्भरदयाल
[8] ईश्वरसिंह
[9] विनोद कुमार पुत्रान विश्वम्भरदयाल
[10] सतवीर
[11] धर्मपाल पुत्रान रामसिंह जाति अहीर निवासी चौकी हाल आबाद कोटकासिम तहसील कोटकासिम (अलवर) राज.

— वादीगण

बनाम

[1] गोपीनाथ पुत्र जगन्नाथ स्वामी निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
[2] राज० सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड रेकर्ड कोटकासिम (अलवर)

— प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक दुरुस्ती इन्द्राज मय हुक्म निषेधाज्ञा स्थायी अं.धा. 88, 89, 188 राज. काश्त. अधि. 1955

उपस्थित :-
[1] श्री राकेश कुमार अभिभाषक वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

निर्णय -

Scanned by CamScanner

वादीगण ने एक वाद मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी हाल ख.नं. 2049/0-19 बीघा वाके ग्राम कान्हड़का तहसील कोटकासिम जिसके साबिक ख.नं. 843 मिन रकबा 0-16 बिस्वा, 843/887 रकबा 0-03 बिस्वा को मिलाकर पैमूद हुआ। उक्त साबिक ख.नम्बरान उक्त ख.न. के साथ जरिये बयनामा के हरलाल, तोखाराम, जयनारायण निवासी कोटकासिम से कीमतन 12000/- में भगवानाराम, कन्हैयालाल रामसिंह, मानसिंह पुत्रान लालजी ने दिनांक 5.6.1969 को खरीद किया था। बयनामा पंजिबद्ध पुस्तक सं.1 के भाग (सं.7) के पृष्ठ संख्या 219-220 पर दिनांक 6.6.69 को क्रम सं. 52 पर दर्ज है। उक्त हाल ख.नं. 2049 रकबा 0-19 साबिक ख.नं. 843 मिन/0-16 व 843/887 मिन रकबा 0-03 से मिलकर बना, हाल ख.नं. 2052 रकबा 3-19 बीघा साबिक ख.नं. 844 मिन रकबा 3-16, 845 मिन रकबा 0-05 से व हाल नं. 2053 रकबा 3-04 साबिक नम्बर 844 मिन रकबा 2-05 व 845 मिन रकबा 0-19 से व हाल नं. 2054 रकबा 4-10, साबिक नं. 843 मिन रकबा 0-05 व 843/887 मिन रकबा 0-09 व 844 मिन रकबा 1-19 व 845 मिन रकबा 2-02 बीघा पैमूद हुए है। उक्त सेटेलमेन्ट, सेटेलमेन्ट आटोकारिशन व कम्प्यूटराईजेशन ने हाल ख.नं. 2050, 2052, 2053, 2054 रकबा तो राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं वादीगण के पुर्वजों का नाम सही दर्ज कर दिया गया लेकिन हाल ख.नं. 2049 को गलती से प्रतिवादी सं.1 गोपीनाथ पुत्र नागनाथ स्वामी कोटकासिम के नाम दर्ज हो गया। जो गलत है। जिसकी जानकारी जिन वादीगण राजस्व जमाबन्दी की नकल दिनांक 10.5.16 को लेने गया तब हुई। तभी बिना देरी मुकदमा तैयार कर वाद पेश करना लाजिम आया। विवादित आराजीयात साबिक ख.नं. 843, 843/887, 885, 844 कुल रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा को वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है। इसलिए हाल ख.नं. 2049 रकबा 0-19 से प्रतिवादी सं.1 का नाम खारिज कर वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को जरिये रजिस्टर्ड तलबाना तलब किया गया जो Not Found लिखकर वापिस प्राप्त हुआ। प्रतिवादी सं. 1 की तामील जरिये अखबार पंजाब केसरी कराई गई लेकिन प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित नहीं हुआ तब दिनांक 13.12.2017 को प्रतिवादी सं. 1 की एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित किया कि पक्षकारान का आपसी विवाद है। राज. सरकार का कोई हित निहित नहीं है। वादीगण की ओर से साक्ष्य में P.W.1, P.W.2, P.W.3 के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि किस वादीगण ने हरलाल, तोताराम, जैनारायण पुत्रान ||
मंगलराम जाति जाटान निवासी कोटकासिम से सायिका ख. नम्बर 845/3-04, 843/1-01, 843/887/1-01, 844/7-15 किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 01 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है। हाल ख.नं. 2050, 2052, 2053, 2054 रकबा का तो राजस्व रिकार्ड में वादीगण एंव वादीगण के पूर्वजों का नाम सही दर्ज कर दिया लेकिन हाल ख.नं. 2049 को गलती से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया। इस गलत अंकन को हटाकर वादीगण के नाम का अंकन किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 6.8.1969 का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख.नं. सायिका 845/3-04, 843/1-01, 843/887/1-01, 844/7-15 किता 4 कुल रकबा 13-01 बीघा वादीगण ने हरलाल, तोताराम, जैनारायण पुत्रान मंगलराम से क्रय की जिसके हाल ख.नं. 2049, 2050, 2052, 2053, 2054 मौजूद हुए। हाल ख.नं. 2050, 2052, 2053, 2054 का तो राजस्व रिकार्ड में वादीगण एंव वादीगण के पूर्वजों का नाम सही दर्ज है। वादीगण अधिवक्ता का कथन है कि हाल

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार -

Scanned by CamScanner

ख.नं. 2049 रकबा 0-19 बिस्वा का अमल प्रतिवादी सं. 1 के नाम गलत दर्ज हो गया जिसे हटाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादीगण अधिवक्ता के कथन से हम सहमत हैं कि विवादित सम्बन्धित ख.नं. 843 मिन व 843/887 मिन वादीगण व उनके पूर्वजों ने खरीद किया जिसके शुद्ध ख.नं. 2049 रकबा 0-19 बिस्वा दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख.नं० 2049 रकबा 0-19 बिस्वा वाके ग्राम कान्हपुरा तहसील कोटकासिम में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विवादित आराजी से प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड इन्द्राज किया जावे। इसी अनुसार पत्रावली डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner